न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 06 / 2024 (उदयपुर डिक्री)

1. संग्राम पिता मंगला, निवासी गोविन्ददेव, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर
2. भगवानदास पिता मंगला, नि0 गोविन्ददेव, तह0 नयागांव, जिला उदयपुर
3. कंकुदेवी पत्नी कांतिलाल, नि0 गोविन्ददेव, तह0 नयागांव, जिला उदयपुर
4. दिता पिता मंगला, निवासी गोविन्ददेव, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर
5. कंकुदेवी पत्नी मंगला, नि0 गोविन्ददेव, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर
6. बदा पिता वालिया, निवासी गोविन्ददेव, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर
7. थावरा पिता भीमा, निवासी गोविन्ददेव, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर
8. मोहनलाल पिता वेलिया, नि0 गोविन्ददेव, तह0 नयागांव, जिला उदयपुर

   सर्व जाति तीरघर (अनु. जाति), सर्वनिवासी गोविन्ददेव, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. गणपतलाल पिता चुन्नीलाल, निवासी आडीवली, तहसील नयागांव
2. धनराज पिता मोतीलाल, निवासी आडीवली, तहसील नयागांव
3. मनोज कुमार पिता मोहनलाल, निवासी आडीवली, तहसील नयागांव
4. शिवलाल पिता प्यारचन्द, निवासी आडीवली, तहसील नयागांव

   सर्वजाति लबाना (गैर अ.जा.), सर्वनिवासी आडीवली, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अ॰–1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी नयागांव दिनांक
16.11.2023 प्रकरण सं0 34 / 2020

——— / ———

उपस्थित :– 1. श्री भरतसिंह राव / देवनारायण अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 4

———::———

निर्णय दिनांक 10–01–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:00 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजियात मौजा गोविन्ददेव में स्थित है। वादीगण उक्त आराजियात पर अपने पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा वादीगण निर्धन एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं तथा खेती कर परिवार का पालना पोषण करते हैं, जबकि प्रतिवादीगण गैर अनुसूचित जाति के होकर सरकारी सेवा में नियुक्त हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित खाता संख्या 30/4 की कुल किता 14 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, खाता संख्या 30/5 की कुल किता 6 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा एवं खाता संख्या 30/6 की कुल किता 19 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 39 रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वजों नाम आवंटित होकर जमाबन्दी संवत् 2013 में दर्ज है तथा वादीगण का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। जुलाई 2020 में प्रतिवादीगण ने अवैध तरीके से जबरन अतिक्रमण करने का प्रयास किया तथा बताया कि उक्त वाद वर्णित आराजी में से खसरा नंबर 612 रकबा 0.1100 हैक्टर, 638/605 रकबा 0.0500 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.1600 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की है, जो कलम संख्या 2 वर्णित भूमि का ही अभिन्न भाग होगर उसके मध्य में स्थित है, जिस पर वादीगण का कब्जा 100 से भी अधिक वर्षो से चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने षडयंत्र पूर्वक राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। अतः प्रतिवादीगण को आराजी में से खसरा नंबर 612 रकबा 0.1100 हैक्टर, 638/605 रकबा 0.0500 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.1600 हैक्टर भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे तथा दौराने वाद यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण कर लेवे तो उसे आदेशात्मक निषेधाज्ञा से हटाया जावे।

उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किये जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण विवादित भूमि के खातेदार नहीं है, खातेदारी के अभाव में वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ने अनुतोष में विवादित भूमि की घोषणा के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किया है एवं न ही किसी अनुतोष की मांग की है, जिससे खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना [illegible] वर्जित है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का [illegible] खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:00 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 16–11–2023 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–01–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 4 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भरतसिंह राव उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 14–12–2023 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने में मात्र 2 दिन का विलम्ब हुआ है, जिसे न्यायहित में क्षमा किया जाकर तथा प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को विधिक प्रकिया अपनाते हुए साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिन दस्तावेजों का हवाला देते हुए वाद खारिज किया गया है, उन्हें अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध नहीं करवाया गया है, जिसकी मौखिक आपत्ति करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वरा निर्णय पारित कर दिया गया है, जो न्यायिक प्रकिया के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:00 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अपीलान्ट/वादीगण कब्जे के आधार पर रेकार्डेड खातेदार रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद लेकर आये हैं, जो विधि द्वारा वर्णित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.बी.जे. 2019 पेज 45, आर.बी.जे. 2022 पेज 296, आर. बी.जे. 2023 पेज 548, आर.बी.जे. 2022 पेज 649, आर.बी.जे. 2019 आर.आर. टी. 2006–07 पेज 672 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। जमाबन्दी में खसरा नंबर 612 रकबा 0.1100 हैक्टर, 638/605 रकबा 0.0500 हैक्टर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्ट/वादीगण द्वारा वाद में जो अनुतोष चाहा है, उसमें खातेदार घोषित किया जाने बाबत् कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, सिर्फ रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही है, जबकि अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2019 आर.बी.जे. पेज 45 में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गय है कि जो व्यक्ति स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश चाहता है वह भूमि का टीनेन्ट होना चाहिए। लम्बे कब्जे के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा कानूनन बाधित है। प्रश्नगत प्रकरण में भी अपीलान्ट/वादीगण द्वारा विवादित भूमि पर अपना 100 वर्ष पुराना कब्जा होने का कथन किया गया है एवं बिना घोषणा की दाद चाहे रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है, जो उक्त न्यायिक नजीर की रोशनी में विधि द्वारा बाधित है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–11–2023 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:00 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** .....

संग्राम पिता मंगला, जाति तीरघर, निवासी गोविन्ददेव, तह. नयागांव, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **गणपतलाल पिता चुन्नीलाल, जाति लबाना, निवासी आडीवली, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**06 / 2024**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**नयागांव**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....16**.....माह.....**11**.....**2023**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**10**....माह.....**01**....सन् **2025** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री भरतसिंह राव / देवनारायण**...मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री संजय बोहरा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–11–2023 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**10**.....माह.....**01**.....**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:00 IST
Reason: SelfAttested